बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,

संतोष मैन्शन, बी0–ब्लॉक, आर0पी0एस0 विधि महाविद्यालय के निकट,

रघुनाथ पथ, दानापुर, पटना–801503

(वेबसाइट– www.bpssc.bih.nic.in)

बिहार पुलिस बल में वर्ष 2017 में पुलिस अवर निरीक्षक (Police Sub Inspector) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना ।

विज्ञापन संख्या–01/2017

बिहार पुलिस, गृह विभाग, बिहार सरकार में पुलिस अवर निरीक्षक (Police Sub Inspector) के पद (वेतनमान 9300–34800+ग्रेड पे 4200) की रिक्तियों की संख्या–1717 (एक हजार सात सौ सत्रह) है ।

इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या–01/2017 यहाँ जारी किया जा रहा है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 [बिहार अधिनियम 6,2016] तदनुसार विधि विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या एल0जी0–01–07/2016/64–लेज, दिनांक 6 अप्रैल 2016 द्वारा राज्य सरकार बिहार के अधीन समूह ग के गृह (आरक्षी) विभाग एवं अन्य विभागों के पद जिनके लिए शारीरिक माप/जाँच या दक्षता परीक्षण अनिवार्य है एवं ऐसे अन्य पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का गठन किया गया है।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–4/ब1–101/2004–7025 दिनांक 30 अगस्त, 2017 द्वारा बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए संशोधित प्रक्रिया जारी की गयी है।

बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा।

उक्त अधिसूचनाएँ आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

लिखित प्रतियोगिता परीक्षा– बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी यथा – प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे।

प्रारम्भिक परीक्षा– प्रारम्भिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या–100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। इसमें 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किये जायेंगे। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 (बीस) गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जायेगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा।

मुख्य परीक्षा– प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा। मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे।

प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिन्दी का 2 (दो) घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अहर्तांक 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जायेगा।

द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच से सम्बन्धित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या– 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी।

दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जायेगा। उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जायेगी।

मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 (छः) गुणा अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जायेगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा।

मेधा सूची– अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे। इसके बावजूद भी यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण–पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जानेवाली अन्तिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्तांक 33.5 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्तांक 35 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्तांक 40 प्रतिशत होगा।

<u>अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता</u> :– अभ्यर्थियों का दिनांक 01.01.2017 अथवा इसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

<u>अभ्यर्थियों की उम्र (दिनांक 01 जनवरी 2017 को):</u>

(1) अनारक्षित (सामान्य) कोटि के पुरूषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष।

(2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष।

(3) अनारक्षित (सामान्य) कोटि, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष।

(4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए।

<u>आरक्षण</u> :– बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे एवं इसका लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।

अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी। तदनुरूप उनके लिए अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा एवं अन्य सम्बन्धित अर्हताएँ लागू होंगी।

<u>ऊँचाई</u> –

(1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए – न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूषों के लिए – न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर।

(3) सभी वर्गो की महिलाओं के लिए – न्यूनतम उँचाई 160 सेन्टीमीटर एवं न्यूनतम वज़न 48 किलोग्राम।

<u>सीना (सिर्फ पुरूषों के लिए)</u> –

(1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए –
बिना फुलाए – 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर – 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा)।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूषों के लिए –
बिना फुलाए – 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर– 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा)।

<u>शारीरिक दक्षता परीक्षा</u>– निम्नांकित शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा।

(1) **दौड़ –**

<u>पुरूषों के लिए</u> –
एक मील की दौड़ के लिए समय सीमा –
6 मिनट (अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे)।

<u>महिलाओं के लिए</u> –
एक किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा –
6 मिनट (अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित होंगी)।

(2) **<u>उँची कूद</u> –**

पुरूषों के लिए – न्यूनतम 4 (चार) फुट
महिलाओं के लिए – न्यूनतम 3 (तीन) फुट

(3) **<u>लंबी कूद –</u>**

पुरूषों के लिए – न्यूनतम 12 (बारह) फुट

महिलाओं के लिए – न्यूनतम 9 (नौ) फुट

(4) **<u>गोला फेंक –</u>**

<u>पुरूषों के लिए</u> – 16 पाउण्ड का गोला न्यूनतम 16 (सोलह) फुट फेंकना होगा।

<u>महिलाओं के लिए</u> – 12 पाउण्ड का गोला न्यूनतम 10 (दस) फुट फेंकना होगा।

<u>रिक्ति</u> :–

श्रेणी / कोटि		**पदों की संख्या**
अनुसूचित जाति	–	300
अनुसूचित जनजाति	–	09
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	–	296
पिछड़ा वर्ग	–	172
पिछड़ा वर्ग महिला (3%)	–	48
अनारक्षित (सामान्य)	–	892
कुल योग	**–**	**1717**

उक्त रिक्तियों से सम्बन्धित Online आवेदन–पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है जो प्रक्रियाधीन है । इसकी प्रक्रिया पूर्ण होते ही अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा।

सचिव,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,

बिहार, पटना।